संख्या- 88/2022/1353/22-4-2021-48(46)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-31 मार्च, 2022

विषय- जिला कारागार, कानपुर देहात में 01 ट्यूबवेल एवं पाइप लाइन की स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 32558/नम-3/2021-22, दिनांक-08.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-612/22-4-2021-48(8)/18टीसी, दिनांक 12.08.2021 में नामित कार्यदायी संस्था **(कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)**) द्वारा गठित आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला कारागार, कानपुर देहात में 01 ट्यूबवेल एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार योजना की कुल लागत रू0 47.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु रू0 12,00,000/- (रूपया बारह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	समिति द्वारा मूल्यांकित लागत	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	जिला कारागार , कानपुर देहात	01 ट्यूबवेल एवं पाइप लाइन की स्थापना	47.24	12.00
		योग-	47.24	12.00

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा ।

(3) प्रस्तावित ट्यूबवेल में उपकरणों की खरीद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दि0 23.08.2017, दि0 25.08.2017 तथा दि0 29.08.2017 जिसमें जेम पोर्टल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर सामाग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है के अनुसार क्रय किया जाएगा ।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80 -सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता एवं सुधार-24-वृहत निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-12-3589-X-2021-22- दिनांक-31.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-88/2022/1353(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
(5) अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in